



कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in Phone & Fax No. 0651-2481813



कार्यालय आदेश

संख्या-01/यो0ब0-10/2014-17

दिनांक 24/5/18

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना सं0सं0-4/ यो0बजट-42/ 2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 16.05.2018 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (फलदार प्रजाति) वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना"(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (फलदार प्रजाति) वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना"(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़

: 160 पौधे (फलदार/ कलमी पौधे)

स्पेसिंग 5 मी. X 5 मी.

प्रजातियाँ:- कलमी आम, कटहल, अमरुद, आँवला, बेल, लीची आदि

क्र. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	लाभको को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (75 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
क	वित्तीय वर्ष 2018-19 में (अग्रिम कार्य एवं समापन कार्य) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 237.38 रु0 प्रति मानव दिवस							
1	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना @160 पौधे प्रति एकड़	एकड़	26.00	6171.88	0.00	6171.88	28.93	

2	पौधों का क्रय @60 रु0 प्रति पौधा (परिवहन सहित) @160 पौधे प्रति एकड़ (5% अतिरिक्त पौधे का क्रय किया जाएगा)	एकड़	0.00	0.00	9600.00	9600.00	45.00	पौधे विमातीय स्तर से उपलब्ध कराये जायेंगे। लाभुक द्वारा पौधों की व्यवस्था स्वयं करने पर 45.00 रु0 प्रति पौधा या वास्तविक दर जो कम हो की दर से राशि देय होगी
3	वृक्षारोपण	एकड़	24	5697.12	0.00	5697.12	26.71	
4	दो कोड़नी एवं निकौनी	एकड़	4.00	949.52	0.00	949.52	4.45	
5	पौधों की सुरक्षा		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	1600.00	1600.00	7.50	
	योग		54.00	12818.52	11200.00	24018.52	112.59	
ख	वित्तीय वर्ष 2019-20 में सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 273 (वृद्धि 15 प्रतिशत)							
1	दो कोड़नी-निकौनी	एकड़	4.00	1092.00	0.00	1092.00	5.12	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/उरिया, जैविक किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	800.00	800.00	3.75	
3	पानी पटवन		0.00	0.00	1600.00	1600.00	7.50	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
	योग		4.00	1092.00	2400.00	3492.00	16.37	
ग	वित्तीय वर्ष 2021-22 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 313 (वृद्धि 15 प्रतिशत)							
1	दो कोड़नी-निकौनी	एकड़	4.00	1252.00	0.00	1252.00	5.87	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	800.00	800.00	3.75	

3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	1600.00	1600.00	7.50	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
5	घेरान मरम्मत @2.5 चेन प्रति एकड़	एकड़	3.0	939.00	0.00	939.00	4.40	
	योग		7.0	2191.00	2400.00	4591.00	21.52	
	सकल योग		65.0	16101.52	16000.00	32101.52	150.48	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक-01 / यो0ब0-10 / 2014-615

दिनांक- 24/05/18

प्रतिलिपि :

1. प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, राँची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
7. सभी मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी
10. इन्विस केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची



कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in Phone & Fax No. 0651-2481813



कार्यालय आदेश

संख्या-01/यो0ब0-10/2014-18 दिनांक 24/5/18

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना सं0सं0-4/ यो0बजट-42/ 2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 16.05.2018 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (काष्ठ प्रजाति) वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना"(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (काष्ठ प्रजाति) वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना"(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़ : 445 पौधे (काष्ठ प्रजातियों का वनरोपण)
स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. एवं मेड के प्रजातियाँ-शीसम, सागवान, गम्हार, महोगनी, क्लोनल,
किनारे 2 मी0 x 2 मी0 यूकोलिप्टस, एकासिया आदि

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	लाभुको को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (75 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
क	वित्तीय वर्ष 2018-19 में (अग्रिम कार्य एवं समापन कार्य) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 237.38 रु0 प्रति मानव दिवस							
1	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 0.027 क्यू0 मी0 445 पीट प्रति एकड़ (संरेखन सहित)	एकड़	10.00	2373.80	0.00	2373.80	4.00	

2	पौधों का क्रय @20 रु0 प्रति पौधा (परिवहन सहित)	एकड़	0.00	0.00	8900.00	8900.00	15.00	पौधे विभागीय स्तर से उपलब्ध कराये जायेंगे। लाभुक द्वारा पौधों की व्यवस्था स्वयं करने पर 15.00 रु0 प्रति पौधा की दर से राशि देय होगी
3	वृक्षारोपण	एकड़	10.00	2373.80	0.00	2373.80	4.00	
4	दो कोड़नी एवं निकोनी	एकड़	11.00	2611.18	0.00	2611.18	4.40	
5	पौधों की सुरक्षा		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	700.00	700.00	1.18	
	योग		31.00	7358.78	9600.00	16958.78	28.58	
ख	वित्तीय वर्ष 2019-20 में सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 273 (वृद्धि 15 प्रतिशत)							
1	एक कोड़नी-निकोनी	एकड़	6.00	1638.00	0.00	1638.00	2.76	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/उरिया, जैविक कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	350.45	350.45	0.59	
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	4450.00	4450.00	7.50	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
	योग		6.00	1638.00	4800.45	6438.45	10.85	
ग	वित्तीय वर्ष 2020-21 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 313 (वृद्धि 15 प्रतिशत)							
1	एक कोड़नी-निकोनी	एकड़	6.00	1878.00	0.00	1878.00	3.17	

2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	350.45	350.45	0.59	
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	4450.00	4450.00	7.50	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लामुक द्वारा की जायेगी।
5	घेरान मरम्मति @2.5 चेन प्रति एकड़	एकड़	3.00	939.00	0.00	939.00	1.58	
	योग		9.00	2817.00	4800.45	7617.45	12.84	
	सकल योग		46.00	11813.78	19200.90	31014.68	52.27	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची

झापांक-01/यो0ब0-10/2014-616

दिनांक-24/5/18

प्रतिलिपि :

1. प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, राँची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
7. सभी मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी
10. इन्विस केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची



कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in Phone & Fax No. 0651-2481813



कार्यालय आदेश

संख्या-01/यो0ब0-10/2014-19 दिनांक 24/5/18

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना सं0सं0-4/ यो0बजट-42/ 2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 16.05.2018 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (घेरान) वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (घेरान) वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़	445 पौधो (काष्ठ प्रजातियों का वनरोपण) 160 पौधे (फलदार प्रजातियों का वनरोपण)
मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु0 में)	237.38 प्रति मानव दिवस
फलदार प्राजाति हेतु स्पेसिंग 5मी0 x 5मी0	फलदार प्रजातियाँ- कलमी आम, कटहल, अमरुद, आँवला, बेल, लीची, आदि
काष्ठ प्राजाति हेतु स्पेसिंग 3मी0 x 3मी0 एवं मेड के किनारे 2 मी0 x 2 मी0	काष्ठ प्रजातियाँ- शीसम, सागवान, गम्हार, महोगनी, क्लोनल, यूकोलिप्टस, एकासिया आदि

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	लामुकों को प्रति पौधा देय राशि	
							काष्ट प्रजाति	फलदार प्रजाति
क	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)							
1	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम संख्या 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर) प्रति एकड़ अधिकतम 2.5 चेन	2.5 चेन प्रति एकड़	5.00	1186.90	4909.48	6096.38	10.27	28.58
2	झाड़ी घेरान (2.5 X 6 मानव दिवस) (प्रति एकड़ अधिकतम 2.5 चेन)	2.5 चेन प्रति एकड़	15.00	3560.70	62.50	3623.20	6.11	16.98
3	पत्थर घेरान (2.5 X 25 मानव दिवस) (प्रति एकड़ अधिकतम 2.5 चेन)	2.5 चेन प्रति एकड़	62.50	14836.25	0.00	14836.25	25.00	69.54

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक-01 / यो0ब0-10 / 2014- 617
प्रतिलिपि :

दिनांक-24/5/18

1. प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्यद, झारखण्ड, राँची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
7. सभी मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी
10. इन्विस केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची